

सं0सं0-5 बजट (1) 26/2024 04-10-26

झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(मत्स्य प्रभाग)

प्रेषक,

अबुबकर सिद्दीख पी0, भा0प्र0से0
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार
झारखण्ड, राँची।

द्वारा:-

आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

राँची/दिनांक 21-05-26

विषय-

वित्तीय वर्ष 2026-27 में मॉग संख्या-53-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग) में मुख्य शीर्ष-4405-मछली पालन पर पूँजीगत परिव्यय के तहत राज्य योजना वेद व्यास आवास योजना अंतर्गत मो0 774.36 लाख (सात करोड़ चौहत्तर लाख छत्तीस हजार) रुपये मात्र की अनुमानित लागत पर व्यय एवं योजना कियान्वयन की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक राज्य योजनान्तर्गत "वेद व्यास आवास योजना" के तहत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में कुल स्वीकृत बजट उपबंध मो0 775.00 लाख रु0 के तहत मो0 774.36 लाख (सात करोड़ चौहत्तर लाख छत्तीस हजार) रुपये मात्र के व्यय पर योजना के कार्यान्वयन की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. यह एक चालू प्रकृति की योजना है, जिसके अंतर्गत मछुआरों के लिए कुल 405 पक्का आवास का निर्माण कराया जाएगा।

3. योजनान्तर्गत बजट उपबंध मो0 775.00 लाख रु0 मात्र के अधीन स्वीकृत राशि मो0 774.36 लाख (सात करोड़ चौहत्तर लाख छत्तीस हजार) रुपये मात्र की निकासी निम्नांकित बजट शीर्ष से की जाएगी :-
(राशि लाख रु0 में)

| क | मुख्य शीर्ष-4405-मछली पालन पर पूँजीगत परिव्यय | बजट उपबंध | स्वीकृत राशि | अवशेष राशि |
|---|---|-----------|--------------|------------|
| 1 | लघु शीर्ष-101-अन्तर्देशीय मछली पालन-69-वेद व्यास आवास योजना-विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण-45-निर्माण कार्य 53S44050010169010545 | 392.00 | 391.96 | 0.04 |
| 2 | लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-69-वेद व्यास आवास योजना-विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण-45-निर्माण कार्य 53S44050078969010545 | 96.00 | 95.60 | 0.40 |
| 3 | लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-69-वेद व्यास आवास योजना-विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण-45-निर्माण कार्य 53S44050079669010545 | 287.00 | 286.80 | 0.20 |
| | कुल | 775.00 | 774.36 | 0.64 |

(कुल मो0 सात करोड़ चौहत्तर लाख छत्तीस हजार रुपये मात्र)

4. योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, निदेशक मत्स्य, झारखंड राँची/जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, राँची, गुमला, लोहरदगा, पलामू, गढ़वा, प0 सिंहभूम, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, देवघर, दुमका, साहेबगंज एवं गोड्डा तथा जिला मत्स्य पदाधिकारी, खूंटी, सिमडेगा, लातेहार, रामगढ़, कोडरमा, जामताड़ा तथा पाकुड़ होंगे, जो कंडिका-11 में दर्शाये गये भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य विवरणी के अनुरूप राशि की निकासी दिये गये आवंटन के अंतर्गत संबंधित कोषागार से करेंगे।
5. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक मत्स्य एवं सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग होंगे।
6. योजना के कार्यान्वयन में आवास का निर्माण कलस्टर में किया जाना है, अतः यथासंभव पूर्व में सृजित क्लस्टर के छोटे हुए लाभुकों को इस योजना से आच्छादित किया जाएगा।
7. लाभुकों का चयन संबंधित जिले के उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा क्लस्टर में किया जाएगा। चयन समिति में संबंधित जिले के माननीय विधायक अथवा उनके प्रतिनिधि भी सदस्य होंगे।
8. इस योजना में लाभुक चयन निम्न प्रकार से किया जाना है:
आवश्यकता अनुसार समाचार पत्रों में विज्ञापन के उपरान्त प्राप्त आवेदनों में से लाभुकों का चयन किया जायेगा।
 - i. सक्रिय अथवा परम्परागत मत्स्य पालक/मछुआ जो मत्स्य उत्पादन/मत्स्य बीज उत्पादन/प्राकृतिक जल संसाधनों में मछली पकड़ने/मत्स्य बिक्री में सक्रिय हों।
 - ii. प्राथमिकता गरीबी रेखा से नीचे कच्चे मिट्टी से बने अथवा फूस के मकान में रहने वाले मछुआ/मत्स्य पालक को दी जायेगी।
 - iii. आवास निर्माण हेतु जमीन उपलब्ध रहने तथा कच्चा घर वाले मछुआओं को भी कंडिका (i) एवं (ii) के अतिरिक्त लाभान्वित किया जा सकता है। एक परिवार में एक आवास देय है। आवश्यकतानुसार पति-पत्नी के संयुक्त नाम से स्वीकृति दी जायेगी।
 - iv. प्रक्रियानुसार आवेदक दिव्यांगों हेतु स्वीकृत राशि का न्यूनतम 3 प्रतिशत तथा महिलाओं के लिए न्यूनतम 10 प्रतिशत राशि का प्राक्धान जिलावार किया जायेगा। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया गया है।
 - v. ऐसे लाभुकों को दोबारा लाभ नहीं दिया जायेगा, जो पूर्व संचालित विभागीय मछुआ आवास/वेद व्यास आवास योजना अथवा इन्दिरा आवास या समतुल्य केन्द्र/राज्य सरकार की आवास योजना से लाभान्वित हो चुके हैं। जिला मत्स्य पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी स्थिति में एक लाभुक के लिये योजना का दोहरीकरण नहीं हो। लाभुकों की अर्हता की जाँच स्वयं संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/जिला मत्स्य पदाधिकारी निर्धारित मापदण्ड पर करेंगे।
9. इस योजना के तहत चयनित लाभुकों के आवासों का Geo Tagging कराना सुनिश्चित किया जाएगा। योजना का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण ब्लॉक चैन टेक्नोलॉजी द्वारा किया जाएगा।
10. (क) प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के मानक प्राक्कलन के आधार पर आवास निर्माण का कार्य लाभुकों के द्वारा स्वयं कराया जाएगा। लाभुक आवश्यकता अनुसार छत ढलवां अथवा समतल रख सकते हैं। आवास निर्माण हेतु अधिकतम प्रति लाभुक मो0 1,91,200/-रु0 की आर्थिक सहायता होगी। इस पर कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमण्डल सं0-02, राँची द्वारा दिनांक 26.10.2023 को तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई है। पक्का आवासों का निर्माण

लाभुकों की निजी जमीन पर कराया जाएगा। इसके लिए एकाउन्ट स्थानान्तरण (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से लाभुकों के बैंक खाते में राशि उपलब्ध करायी जाएगी।

(ख) सक्षम प्राधिकार से चयनित लाभुकों के लिए बैंक से राशि की निकासी हेतु जिला मत्स्य कार्यालय द्वारा विमुक्ति का आदेश निम्न रूप से कार्य की प्रगति के अनुसार किया जायगा :

- (i) प्लिंथ स्तर (20%) (ii) छत स्तर (15%)
(iii) छत ढलाई/निर्माण (40%) (iv) फिनिशिंग हेतु राशि दी जायेगी (25%)

11. जिलावार, शीर्षवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य निम्न प्रकार है—

वित्तीय वर्ष 2026-27 में मुख्य शीर्ष-4405-मछली पालन पर पूंजीगत परिव्यय-उप शीर्ष-69-वेद व्यास आवास योजना अंतर्गत लघु शीर्ष एवं जिलावार भौतिक (संख्या में) एवं वित्तीय लक्ष्य (लाख रु० में)

| क्र० | जिला का नाम | लघु शीर्ष-101-अन्तर्देशीय मछली-पालन-विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण-45-निर्माण कार्य | | लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण-45-निर्माण कार्य | | लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना- विस्तृत शीर्ष- 05-निर्माण-45-निर्माण कार्य | | कुल भौतिक लक्ष्य | कुल वित्तीय लक्ष्य |
|-------|-------------|---|---------|---|---------|---|---------|------------------|--------------------|
| | | भौतिक | वित्तीय | भौतिक | वित्तीय | भौतिक | वित्तीय | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | राँची | 0 | 0.000 | 10 | 19.120 | 30 | 57.360 | 40 | 76.4800 |
| 2 | खूँटी | 0 | 0.000 | 2 | 3.824 | 6 | 11.472 | 8 | 15.2960 |
| 3 | गुमला | 0 | 0.000 | 4 | 7.648 | 14 | 26.768 | 18 | 34.4160 |
| 4 | सिमडेगा | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 10 | 19.120 | 10 | 19.1200 |
| 5 | लोहरदगा | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 10 | 19.120 | 10 | 19.1200 |
| 6 | लातेहार | 0 | 0.000 | 4 | 7.648 | 10 | 19.120 | 14 | 26.7680 |
| 7 | पलामू | 32 | 61.184 | 3 | 5.736 | 0 | 0.000 | 35 | 66.9200 |
| 8 | गढ़वा | 20 | 38.240 | 4 | 7.648 | 0 | 0.000 | 24 | 45.8880 |
| 9 | प० सिंहभूम | 0 | 0.000 | 2 | 3.824 | 14 | 26.768 | 16 | 30.5920 |
| 10 | रामगढ़ | 10 | 19.120 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 10 | 19.1200 |
| 11 | कोडरमा | 27 | 51.624 | 3 | 5.736 | 0 | 0.000 | 30 | 57.3600 |
| 12 | बोकारो | 21 | 40.152 | 4 | 7.648 | 0 | 0.000 | 25 | 47.8000 |
| 13 | धनबाद | 20 | 38.240 | 4 | 7.648 | 0 | 0.000 | 24 | 45.8880 |
| 14 | गिरिडीह | 20 | 38.240 | 2 | 3.824 | 0 | 0.000 | 22 | 42.0640 |
| 15 | देवघर | 30 | 57.360 | 2 | 3.824 | 0 | 0.000 | 32 | 61.1840 |
| 16 | दुमका | 0 | 0.000 | 2 | 3.824 | 10 | 19.120 | 12 | 22.9440 |
| 17 | जामताड़ा | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 18 | 34.416 | 18 | 34.4160 |
| 18 | पाकुड़ | 0 | 0.000 | 2 | 3.824 | 10 | 19.120 | 12 | 22.9440 |
| 19 | साहेबगंज | 0 | 0.000 | 2 | 3.824 | 18 | 34.416 | 20 | 38.2400 |
| 20 | गोड्डा | 25 | 47.800 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 25 | 47.8000 |
| योग : | | 205 | 391.960 | 50 | 95.600 | 150 | 286.80 | 405 | 774.3600 |

12. योजना स्थल का चयन, योजना की Feasibility एवं सफलता का दायित्व संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी का होगा।
13. लाभुकों के चयन के पूर्व संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/जिला मत्स्य पदाधिकारी एवं संबंधित क्षेत्र प्रभारी मत्स्य प्रसार पदाधिकारी/मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक स्थल की जाँच तथा लाभुकों के आवेदन में वर्णित तथ्यों की छानबीन कर संतुष्ट हो लेंगे। लाभुक की सूची/उसके फोटोग्राफ/स्थायी पता/खाता-खेसरा जिस पर आवास निर्माण हो रहा है उसका ब्यौरा पंजी में संधारित करेंगे। Ground reality से मेल नहीं पाने पर जिला मत्स्य पदाधिकारी दोषी होंगे। जिला मत्स्य पदाधिकारी पेयजल एवं स्वच्छता विभाग से सम्पर्क कर स्वच्छता हेतु शौचालय निर्माण का प्रयास करेंगे। इस योजना अंतर्गत निर्मित आवासों का रंग एक समान नीला किया जाएगा तथा योजना संबंधी बोर्ड भी लगाया जायेगा।
- लाभान्वितों के संबंध में प्रत्येक जिला मत्स्य कार्यालय में फोल्डर संधारित कर रखे जायेंगे, जिनमें उन्हें उपलब्ध कराई गई सुविधा से उनकी दशा में आये सुधार का वर्णन रहेगा। योजना के लाभुक का नाम, ब्यौरा, पूर्व, वर्तमान आवास का फोटो, अभिलेख अपने कार्यालय में संधारित करेंगे तथा जिला Web site पर भी डालेंगे।
14. वित्तीय वर्ष 2025-26 में इस योजना अंतर्गत स्वीकृत बजट उपबंध मो0 500.00 लाख रू0 मात्र में से मो0 497.12 लाख रू0 मात्र का व्यय प्रतिवेदित है।
15. स्वीकृत राशि का व्यय प्राप्त आवंटन, वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश पत्रांक 2561 दिनांक 17-04-98 तथा वित्तीय नियमावली व कोषागार संहिता के सुसंगत नियमों एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में की जायेगी।
16. उक्त स्वीकृत्यादेश मंत्रिमंडल, सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड के प्रसंगाधीन अधिसूचना ज्ञापांक सी0एस02/आर0-01/2005-301 दिनांक 11.03.2015 तथा सी0एस0-01/आर0-04/ 2001/1269 दिनांक 21 सितम्बर, 2023 के द्वारा विभाग को प्रदत्त वित्तीय शक्ति के अधीन है।
17. राशि का व्यय स्वीकृत बजट उपबंध के अंतर्गत हो। किसी भी परिस्थिति में विषयगत योजना अथवा इसके किन्हीं अवयवों (Components) का दोहरीकरण नहीं किया जायेगा। स्वीकृत योजना हेतु किसी अन्य स्रोत (जिला प्रशासन/आन्तरिक/अन्य विभाग) से व्यय न हो, यह सुनिश्चित किया जाना निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की जिम्मेदारी होगी।
18. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।
19. स्वीकृत्यादेश प्रारूप में विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
20. स्वीकृत्यादेश निर्गत होने के पश्चात् विभागीय वेबसाईट www.jharkhandfisheries.org पर देखा जा सकता है।

विश्वासभाजन

(अबुबकर सिद्दीख पी0)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक:- 5 बजट (1) 26/2024 04.57.0/वि०

राँची, दिनांक:- 21.05.26

प्रतिलिपि : सभी कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक:- 5 बजट (1) 26/2024 04.57.0/वि०

राँची, दिनांक:- 21.05.26

प्रतिलिपि : जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी)/जिला मत्स्य पदाधिकारी, (सभी)/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, झारखण्ड/मुख्य अनुदेशक, मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र, राँची/उप मत्स्य निदेशक, (सभी)/संयुक्त मत्स्य निदेशक/निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सभी जिला मत्स्य पदाधिकारी से अनुरोध है कि संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी से समन्वय स्थापित करते हुए ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत स्वीकृत होने वाले आवास निर्माण योजनाओं के साथ इस योजना का दोहरीकरण न हो इसके लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक:- 5 बजट (1) 26/2024 04.57.0/वि०

राँची, दिनांक:- 21.05.26

प्रतिलिपि : योजना-सह-विकास विभाग, झारखण्ड, राँची/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सभी उप विकास आयुक्त/सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची के प्रधान आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/मुख्य सचिव एवं विकास आयुक्त, झारखण्ड, राँची के सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव